कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री भंवर लाल टाक पुत्र श्री जगन्नाथ खटीक निवासी जोरपुरा सुन्दरियावास, खटीकों का मौहल्ला, सरकारी अस्पताल के पास, ग्राम डूँगरी हिंगोनिया जिला जयपुर– 303328

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

अपील संख्या 77/2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 22.11.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर रिपोर्ट मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्र कमांकः डीएम/कोर्ट/2023/2153 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने पत्र कमांकःआरटीआई/2023/751 दिनांक 09.11.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट को वांछित सूचना पत्र कमांकःआरटीआई/2023/684 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना अपीलांट को भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे ज्ञात होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा